<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

दिनांक : 11.09.2018

आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन संख्या 06 दिनांक 28.03.2018 में उल्लेखित अध्यापन **<u>अनुभव/शैक्षणिक</u>** योग्यता को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा याची अभ्यर्थियों के *ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पारित अंतरिम आदेशों के अनुपालन में आयोग द्वारा उनके आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया।* उक्त पदों की परीक्षा *आयोग द्वारा* दिनांक 02.09.2018 को राज्य के संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित कर परिणाम की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिन याचिओं के उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं उन सभी याची अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा परिणाम के मद्देनज़र <u>परीक्षा हेतु **उन्हें जारी किये गए प्रवेश पत्र की प्रति मय कोर्ट ऑर्डर**</u> के दिनांक 18.09.2018 तक आयोग की ई–मेल **<u>feedback.rpsc@rajasthan.gov.in</u>** पर आवश्यक रूप से ऑनलाइन सबमिट कर दें ताकि आयोग द्वारा उनके परीक्षा परिणाम जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना संभव हो सके। निर्धारित तिथि पश्चात् इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी जिसके लिए याची अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(पी0सी0बेरवाल)
सचिव